

28-516 पत्रावली पेश हुई/लकील बतौ/विवाद/...
 अमरगढ पर पेश हुई। सभी पत्रकारों के हाजिर
 नही होने के कारण प्रकरण में राजीनामा नही
 हो सका है। अतः पत्रावली सुनवाई हेतु दि०
 1-8-16 को पेश हो।

रीडर

28-516 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प
 अमरगढ पर पेश हुई। सभी पत्रकारों के हाजिर
 नही होने के कारण प्रकरण में राजीनामा नही
 हो सका है। अतः पत्रावली सुनवाई हेतु दि०
 1-8-16 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
 गंगापूर सिटी

30-516 पत्रावली पेशी में ली गई। पत्रावली
 दि० 13-7-16 को राजस्व अदालत कैम्प अमरगढ
 पर पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
 गंगापूर सिटी

13-7-16 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प
 अमरगढ पर पेश हुई। वादीगण ने राजीनामा
 पेश कर अवगत कराया है कि विवादित भूमि के
 सम्बन्ध में तहसीलदारजी गंगापूर के यहाँ अपील
 नामान्तरकरण चल रही है इसलिये वादीगण अपना
 यह दावा वापिस ले रहे हैं। यदि जरूरी हुआ तो
 वादीगण पुनः नया दावा पेश करेंगे इसी अनुमति
 के साथ वादीगण को यह दावा वापिस लेने की
 अनुमति दे दी जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार
 किया जाकर वादीगण को प्रस्तुत वाद वापिस लेने
 व भवीन वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती
 है। पंचा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली पैसल
 शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं वाद तत्कमील
 दारिजम दाफतार हो।

(सतीश कुमार शर्मा)
 सैडवोकेट
 सदस्य
 लोक अदालत

(रवि कुमार शर्मा)
 सैडवोकेट
 सदस्य
 लोक अदालत
 गंगापूर सिटी

(मुनिदेव यादव)
 अध्यक्ष
 लोक अदालत
 गंगापूर सिटी
 उप जिला कलेक्टर
 गंगापूर सिटी

मुन्शेजमाली
 उद्दत्ताय
 हरिनाथ शर्मा
 श्रीतीलक शर्मा

14490-
 1616

नम्ब
अह
हुक्म
में

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) फोलोअप कैम्प स्थान अमरगढ

पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. प्रहलाद पुत्र किशोर माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
2. मुकेश सैनी पुत्र रामहेत माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
3. हीरालाल पुत्र किशनलाल माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
4. मोतीलाल पुत्र सुआराम माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी

—वादीगण

बनाम

1. देवकिशन पुत्र भौरया माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
2. फूल्या पुत्र भौरया माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
3. किशनलाल पुत्र भौरया माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
4. छोटया पुत्र भौरया माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
5. खिलाडी पुत्र वंशी माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
6. ज्ञानी पुत्र बंशी माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
7. नारायणी पत्नी बंशी माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
8. दामोदर पुत्र बद्रीप्रसाद खंडेलवाल निवासी गंगापुर सिटी
9. लेण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 50/2015

वादीगण की ओर से वादी प्रहलाद वगैरा की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी कोई नही की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 13.7.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादीगण का दावा विद्वान के आधार पर खारिज किया जाता है एवं भविष्य मे नवीन दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 13.7.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, गंगापूर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- अमरगढ़

राजिनामा प्रपत्र

दिनांक 13-7-2016

पीठासीन अधिकारी महाराज
गंगापूर सिटी

प्रहलाद वर्गौरा बनाम देवकिशान वर्गौरा

संख्या - 50/2015 अन्तर्गत धारा 88, 907, 188 R.T. Act.

यह प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री प्रहलाद, मुकेश, हीरालाल, मोतीलाल
कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लभित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो
हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।
आपसी राजिनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

वादीगण द्वारा प्रस्तुत ~~यह~~ वादपत्र में विवादित भूमि से
सम्बन्धित एक जामान्तरकरण अपील पर नुद्सीलदार जी गंगापूर सिटी
न्यायालय में सुनवाई चल रही है जिसमें विवादित भूमि से संबंधित
निर्णय होना है। अतः उस अपील के जामान्तरकरण के विचारधीन होते हुए
वादीगण अपना यह दावा वापिस लेते हैं। यदि वादीगण को जरूरी हुआ
वादीगण पूर्व जमा दावा पेश करेंगे इसी अनुमति के साथ यह दावा
श्रीमान से निवेदन है, कि हमारा राजिनामा तस्दीक कर मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करें। वापिस कर दिया जाये

मुकेशमाली

प्रतिवादी पक्ष 1

प्रहलाद

2.

हीरालाल शाली

3.

मोतीलाल शाली

4.


के हस्ताक्षर


नाम


प्रहलाद वर्गौरा
अधीनस्थ पक्षकार

पहचानकर्ता श्रीमान
(प्रतिवादी पक्ष) श्रीमान
पंचायत अमरगढ़
पंचसंगंगापूर सिटी (संभा 0)

वादी प्रहलाद, मुकेश, हीरालाल, मोतीलाल एवं प्रार्थी/ प्रतिवादी X
द्वारा सम्मिलित रूप से राजिनामा पेश किया गया है। राजिनामे की इच्छा को मूल में रखकर सही होने
का अतः राजिनामा हस्तखतवार्ति पक्षकार, तस्दीक किया जाता है। राजिनामा शामिल मिशाल पर।


(सनीश कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापूर सिटी


(रवि कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापूर सिटी


मुनिदेव यादव
अध्यक्ष
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
गंगापूर सिटी
उप जिला कलेक्टर